झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग

चाय बगान, कालीनगर, नामकोम, राँची–834010.

संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा–2016 (मुख्य)

आवश्यक सूचना
प्रमाण पत्रों की जाँच का कार्यक्रम

दिनांकः– 27.01.2021

संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा–2016 की मुख्य परीक्षा के आधार पर अतिरिक्त अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जाँच आयोग कार्यालय कालीनगर, चाय बागान, नामकोम, राँची में निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार होगी। अभ्यर्थी जाँच शुरू होने से दो घण्टा पहले जाँच स्थल पर निश्चित रूप से पहुँच जाएँः–

1St Sitting **Date-08.02.2021** **Time: 11:30 AM to 01:00 PM**

Distt.:-Deoghar Subject:-Geography

Roll No:-12111128499, 15125162159, 18116181354, 24119216500. (Total-04)

2nd Sitting **Date-08.02.2021** **Time: 03:00 PM to 04:30 PM**

Roll No:- 25115220703, 30114274544, 30115274809. (Total-03)

2. दिनांक–08.02.2021 को आयोजित जाँच में उक्त अतिरिक्ति अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों में से किसी कारण से अनुपस्थित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन का कार्य आयोग कार्यालय में दिनांक–15.02.2021 को अपराह्न 02:00 बजे से अपराहन 04:00 तक किया जायेगा। अनुपस्थित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु उपस्थित होने का यह अंतिम अवसर होगा। इस अवसर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता स्वतः रद्द समझी जायेगी। उक्त तिथि को भी जाँच प्रारम्भ होने के 02 घंटे पूर्व आयोग के मुख्य द्वार पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

3. अभ्यर्थी जाँच हेतु उपर्युक्त परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र (Admit Card) तथा निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूलप्रति, एक–एक स्व–हस्ताक्षरित छाया प्रति के साथ तथा हाल में खींचा गया दो पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो लेकर उपस्थित होंगे। जाँच हेतु वांछित प्रमाण पत्रों की सूची नीचे अंकित है :–

I. मैट्रिक उत्तीणता प्रमाण पत्र (मूल प्रति)।

II. पद की अपेक्षा के अनुरूप इन्टरमीडिएट, स्नातक तथा बी॰एड॰ परीक्षा उर्तीणत्ता से सम्बंधित प्रमाण पत्र की मूल प्रति। कोई अभ्यर्थी यदि किसी उच्चत्तर शैक्षणिक योग्यता को धारित करते हैं तो तत्सम्बंधी प्रमाण पत्र की मूल प्रति।

III. **आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए**

क) क्षैतिज आरक्षण के दावे के लिए झारखंड राज्य का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र (प्रासंगिक परीक्षा) की विवरणिका के परिशिष्ट–III के प्रपत्र में।

ख) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के संदर्भ में जाति प्रमाण पत्र प्रासंगिक परीक्षा की विवरणिका के परिशिष्ट–I के प्रपत्र में।

ग) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) के लिए दिनांक– 31.03. 2013 के पष्चात् निर्गत विवरणिका के परिशिष्ट–II के प्रपत्र में जाति प्रमाण पत्र, जिसमें क्रिमी लेयर का स्पष्ट उल्लेख हो। भारत सरकार के अधीन नियोजन हेतु जारी अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र राज्य के अधीन नियोजन हेतु मान्य नहीं है।

घ) जाति प्रमाण पत्र एवं स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जिला के उपायुक्त अथवा अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत होना चाहिए। उससे न्यून स्तरों पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र नियोजन हेतु मान्य नहीं है।

ड़) झारखण्ड सरकार के सरकारी प्रारम्भिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की रिक्ति के विरूद्ध आवेदन देने वाले अभ्यर्थी के सन्दर्भ में पाँच वर्षो का शैक्षणिक कार्यानुभव सम्बन्धी जिला शिक्षा अधीक्षक के स्तर से **निर्गत मूल प्रमाण पत्र**। इसका विहित प्रपत्र आयोग द्वारा दिनांक– 07.09.2018 की सूचना के माध्यम से जारी किया गया है एवं यह आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध है।

नोटः अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में जिस प्रमाण पत्र की संख्या एवं निर्गत तिथि तथा आरक्षण कोटि का दावा किया गया है उस प्रमाण पत्र/उस कोटि से भिन्न जाति का प्रमाण पत्र तथा उपर्युक्त विहित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्रों में प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे।

4. COVID-19 के कारण अभ्यर्थियों के लिए विशेष अनुदेशः–

क) अभ्यर्थी को आयोग परिसर में थर्मल स्कैनिंग के बाद प्रवेश दिया जायेगा।

ख) किसी अभ्यर्थी में COVID-19 के लक्षण पाये जाने पर आयोग परिसर में उनके प्रवेश की अनुमति नहीं होगी तथा ऐसे अभ्यर्थियों के सन्दर्भ में आयोग का निर्णय अलग से संसूचित किया जायेगा।

ग) प्रत्येक अभ्यर्थी का नाक और मुँह मास्क से ढका होना अनिवार्य है।

घ) थर्मल स्कैनिंग एवं प्रमाण पत्रों के जाँच के समय प्रत्येक अभ्यर्थी के बीच तथा जाँचकर्त्ता पदाधिकारी की आपसी दूरी न्यूनतम 2 मीटर होगी। यही दूरी फोटो एवं हस्ताक्षर मिलान के समय भी सुनिश्चित की जायेगी।

ड़) जाँच हेतु उपस्थित होने पर कोई भी अभ्यर्थी आयोग परिसर के मुख्य गेट से दो मीटर की दूरी भी बनाये रखना सुनिश्चित करेंगे।

च) उक्त अनुदेशों का विचलन करते हुए पाये जाने पर सम्बन्धित अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जाँच नहीं की जायेगी।

अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें कि प्रमाण पत्रों की जाँच के लिए आमंत्रित किया जाना उम्मीदवार का अंतिम चयन नहीं है। आयोग आवश्यकतानुसार रिक्ति के परिपेक्ष्य में इस सूची में अंकित अनुक्रमांक से भिन्न अभ्यर्थियों को भी प्रमाण पत्रों की जाँच हेतु आमंत्रित कर सकता है।

... **ह0/–**

परीक्षा नियंत्रक
झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग।